

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बोडला जिला – कबीरधाम (छ०ग०)

रा०प्र०क. / अ 2 वर्ष 2025-26

ग्राम-सलगी

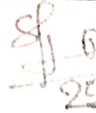
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम-सलगी को सूचित किया जाता है कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम) के पत्र क्रमांक/716/सी.एम.डी.सी/2024 रायपुर, दिनांक 14.11.2024 द्वारा कलेक्टर महोदय(खनिज शाखा) जिला कबीरधाम के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके परिपालन में ग्राम-मुकाम तहसील बोडला जिला कबीरधाम में स्थित भूमि कुल खसरा नम्बर 37 कुल रकबा 42.646 हे० में से रकबा 33.177 हे० निजी भूमि को 7 वर्ष के लिए सी.एम.डी.सी द्वारा खनन हेतु भूमि स्वामियों को प्रभावित भूमि के फसल के एवज में राशि 55000/-रु० प्रति एकड़/प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष की फसल क्षति पूर्ति मुआवजा (प्रतीकर) का भुगतान एकमुश्त किये जाने का सहमति बना है, उक्त के संबंध में लीज पर कार्यवाही हेतु समस्त कृषकों से सहमति पत्र प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक -12/12/2025 को प्रातः 11:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि उपरांत प्राप्त दावा-आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क०	प्रभावित निजी भूमि का विवरण	
	खसरा नंबर	रकबा (हे०)
1	43/2	2.023
2	61	0.399
3	62	1.800
4	63	1.730
5	64	0.241
6	66	0.835
7	67	1.090
8	68	0.741
9	70/2	0.204
10	71/2	0.307
11	72	0.332
12	73	0.058
13	173/1	0.500
14	173/2	0.472
15	100	1.600
16	103	1.052
17	105	1.047
18	168/1	0.365
19	107	1.093
20	125	0.014
21	126	0.720

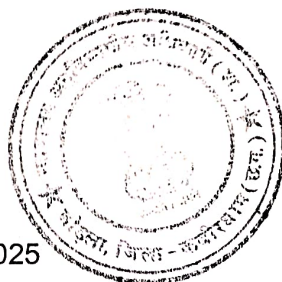

 25/11/25 अनुविभागीय अधिकारी
 (रा०)

22	127/1	0.993
23	127/2	0.405
24	128/2	0.129
25	129	1.602
26	130	0.701
27	131/2	1.201
28	134/2	1.011
29	135/2	1.011
30	136	1.297
31	171/1	1.011
32	171/2	1.011
33	137	2.705
34	138	1.641
35	139	1.148
36	140	0.235
37	169/2	0.453
	Total	33.177

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक **12.12.2025** को प्रातः 11:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि उपरांत प्राप्त दावा-आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक **25.11.2025** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है।

जारी दिनांक —25.11.2025
पेशी दिनांक —12.12.2025



अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बोड़ला

जिला-कोरिया
बोड़ला, दिनांक/11/2025

पृ0क्र0 / / अ0वि0अ0 / रीडर / 2025